

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम  
( बिहार सरकार का उपक्रम )  
कौटिल्य नगर, पटना-800014.

ई0 सपलेश्वर मंडल  
मुख्य अभियन्ता



दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2223727  
फैक्स : 0612-2224529  
मेबाईल : 9471006801

संचिका संख्या :-Reg- 1/1342

पटना,

दिनांक :- 22/06/2023

कार्यालय आदेश-...22.../2023

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम अन्य कार्यों के अतिरिक्त ई-निविदा सूचना सं0-05/SBD/2022-23 के माध्यम से कटिहार जिलान्तर्गत हसनपुर थाना में मॉडल थाना भवन (G+2 Structure) एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी।

1. ई-निविदा की कंडिका-35 में निम्न शर्तें अंकित थी :-  
"निविदा में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न (अपलोड) करने वाले संवेदक का ही निविदा मान्य होगा।"
2. ई-निविदा सूचना सं0-05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि-23.06.2022 से 30.06.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की गयी थी।
3. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक-एच0क्यू0 1785 दिनांक- 23.06.2022 के द्वारा ई-निविदा सूचना सं0-05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि-29.06.2022 से 07.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।
4. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक-एच0क्यू0 1853 दिनांक- 28.06.2022 के द्वारा पुनः ई-निविदा सूचना सं0-05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि-12.07.2022 से 21.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।
5. उक्त ई-निविदा सूचना सं0-05/SBD/2022-23, क्रम सं0-3, कटिहार जिलान्तर्गत हसनपुर थाना में मॉडल थाना भवन (G+2 Structure) एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये 04 निविदाकार यथा-एक्यूरियम कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 , 2. दिनेश कुमार, 3. मे0 कृष्णापाली कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 एवं 4. मे0 नवनिर्माण कंस्ट्रक्शन द्वारा निविदा समर्पित की गयी।
6. ई-निविदा सूचना सं0-05/SBD/2022-23 के क्रम सं0-3, कटिहार जिलान्तर्गत हसनपुर थाना में मॉडल थाना भवन (G+2 Structure) एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये मे0 नवनिर्माण कंस्ट्रक्शन द्वारा अनुभव

प्रमाण पत्र (Performance Certificate) के रूप में कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, कटिहार का पत्रांक-47 दिनांक-08.04.2022 समर्पित किया गया था।

7. ई-निविदा सूचना सं0-05/SBD/2022-23 के क्रम सं0-3, कटिहार जिलान्तर्गत हसनपुर थाना में मॉडल थाना भवन (G+2 Structure) एवं आधारभूत संरचना क विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये मे0 नवनिर्माण कंस्ट्रक्शन द्वारा समर्पित उपर्युक्त अनुभव प्रमाण पत्र (Performance Certificate) निर्गत कार्यालय यथा-कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, कटिहार को निविदाकार मे0 नवनिर्माण कंस्ट्रक्शन द्वारा समर्पित कार्यानुभव प्रमाण पत्र सत्यापित करने हेतु अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का निबंधित डाक से प्रेषित, पत्रांक-SE 84, दिनांक-03.04.2023 से अनुरोध किया गया।
8. निगम के उक्त अनुरोध के आलोक में कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग भवन प्रमण्डल, कटिहार के द्वारा डाक एवं ई-मेल से भेजे गये पत्रांक-43 दिनांक-18.04.2023 के द्वारा सूचित किया गया कि "आपके द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय को संवेदक- M/S Nav Nirman Construction, Address- Durgasthar Chowk, Katihar का अनुभव प्रमाण-पत्र जो सत्यापन हेतु उपलब्ध कराया गया है के संबंध में कहना है कि उक्त प्रमाण पत्र अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से निर्गत नहीं है एवं प्रमाण-पत्र में अंकित कार्य का संवेदक M/S Nav Nirman Constructor नहीं है।"
9. उपर्युक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि पार्टनरशिप फर्म मे0 नव निर्माण कंस्ट्रक्शन, पता-दुर्गा स्थान चौक कटिहार, थाना+जिला-कटिहार, पिन-854105 एवं फर्म के पार्टनर श्री मदन कुमार सिंह, पिता-स्व0 देवता प्रसाद सिंह, ग्राम-बजहरा, पोस्ट-सुनैला, जिला-कटिहार, पिन-855114 एवं अन्य पार्टनर श्री राममूर्ति सिंह, पिता-नरेन्द्र प्रसाद सिंह, दुर्गा स्थान चौक, पोस्ट-कटिहार, जिला-कटिहार, पिन-854105 के द्वारा आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित करने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इस तरह पार्टनरशिप फर्म मे0 नव निर्माण कंस्ट्रक्शन, पता-दुर्गा स्थान चौक कटिहार, थाना+जिला-कटिहार, पिन-854105 एवं फर्म के पार्टनर श्री मदन कुमार सिंह, पिता-स्व0 देवता प्रसाद सिंह, ग्राम-बजहरा, पोस्ट-सुनैला, जिला-कटिहार, पिन-855114 एवं अन्य पार्टनर श्री राममूर्ति सिंह, पिता-नरेन्द्र प्रसाद सिंह, दुर्गा स्थान चौक, पोस्ट-कटिहार, जिला-कटिहार, पिन-854105 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-467, 468, 471, 420, 120बी एवं 511 में वर्णित अपराध किया गया है।
10. पार्टनरशिप फर्म मे0 नव निर्माण कंस्ट्रक्शन, पता-दुर्गा स्थान चौक कटिहार, थाना+जिला-कटिहार, पिन-854105 एवं फर्म के पार्टनर श्री मदन कुमार सिंह,

पिता-स्व० देवता प्रसाद सिंह, ग्राम-बजहरा, पोस्ट-सुनैला, जिला-कटिहार, पिन-855114 एवं अन्य पार्टनर श्री राममूर्ति सिंह, पिता-नरेन्द्र प्रसाद सिंह, दुर्गा स्थान चौक, पोस्ट-कटिहार, जिला-कटिहार, पिन-854105 के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-467, 468, 471, 420, 120बी एवं 511 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है।

11. तदोपरान्त मे० नव निर्माण कंस्ट्रक्शन, पता-दुर्गा स्थान चौक कटिहार, थाना+जिला-कटिहार, पिन-854105 एवं फर्म के पार्टनर श्री मदन कुमार सिंह, पिता-स्व० देवता प्रसाद सिंह, ग्राम-बजहरा, पोस्ट-सुनैला, जिला-कटिहार, पिन-855114 एवं अन्य पार्टनर श्री राममूर्ति सिंह, पिता-नरेन्द्र प्रसाद सिंह, दुर्गा स्थान चौक, पोस्ट-कटिहार, जिला-कटिहार, पिन-854105 के द्वारा जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका के तहत इस कार्यालय के पत्रांक एच०क्यू० 1727 दिनांक-23.05.2023 द्वारा कारण पृच्छा की गयी क्यों नहीं उक्त आपराधिक षडयंत्र, जालसाजी एवं छल के आरोप में कार्य के निबंधन को निलंबित कर उसे काली सूची में डालने हेतु स्पष्टीकरण कि माँग किया गया लेकिन उक्त पत्र वापस आ गया जिसके कारण पुनः उक्त संवेदक को पत्रांक HQ दिनांक- 03.06.2023 के द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई।

12. कारण पृच्छा का जबाब समर्पित करने का पत्र प्राप्ति से 07 दिन का समय दिया गया पर जबाब अप्राप्त है। किसी फर्म या व्यक्ति के द्वारा किया गया आपराधिक कृत के संबंध में आपराधिक कार्रवाई तथा जालसाजी या छलपूर्वक तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने के प्रयास के विरुद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई अलग-अलग प्रावधानों के तहत अलग-अलग कार्रवाई करने का प्रावधान है। फर्म द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है इसीलिए बिहार निबंधन नियमावली 2007 के तहत कार्रवाई नहीं करने का कोई वैधानिक आधार नहीं बनता है।

अतः आपराधिक षडयंत्र के तहत जाली अनुभव प्रमाण पत्र निगम को समर्पित कर छल पूर्वक निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने हेतु बिहार निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11(क) 7 के प्रावधानों के तहत मे० नव निर्माण कंस्ट्रक्शन के निबंधन सं० द्वितीय 13/2020 (पार्टनरशीप) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को कालीसूची में दर्ज किया जाता है।

ह०/  
मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-...../...../2023  
प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता (मो०), अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-01 एवं 02/ मुख्य लेखा पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियंता, मोनेटरिंग, बी०ओ०क्यू० एवं गुण नियंत्रण/ मुख्य अभियंता के तकनीकी सचिव/ मुख्य अभियंता के निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना एवं सभी कार्यपालक अभियंता, पटना/राजगीर/मगध प्रमण्डल कैम्प डिहरी ओन सोन/ भागलपुर/ दरभंगा/ पूर्णियाँ/ मुजफ्फरपुर प्रमण्डल कैम्प हाजीपुर एवं कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल/

पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम  
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/  
मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक- 1/0 2201 पटना, दिनांक- 22/06/2023  
प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, भवन  
निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / मुख्य  
अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण  
विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना /  
मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार आधारभूत  
संरचना विकास प्राधिकार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार,  
पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम, पटना / प्रबंध  
निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना / प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण  
निगम लि0, पटना / मुख्य कार्यपालक अभियंता, बिहार ग्रामीण कार्य विकास अधिकरण,  
पटना / प्रबंध निदेशक बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

JP  
21.6.23

मुख्य अभियंता।

21/06/2023